न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा..... (नागौर) राजस्थान

प्राथी   राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेड़ा

बनाम

अप्रार्थी :- श्री उगमाराम नाथूराम जाट निवासी कालेड़ा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 46 / 2018

निर्णय —   दिनांक 4.07.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेड़ा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2075 में सरहद कालेड़ा के खसरा नम्बर 57 की किस्म गै.मु. रास्ता में रकबा 0.01440 बीघा भूमि में कच्चा व पक्का नाडि लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी — से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का ग्राम कालेड़ा के खसरा नम्बर 57 किस्म गै. मु. रास्ता में रकबा .... वाली भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6/- रूपया प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.01440 है. भूमि का 0.0864 रूपये लगान का 50 गुणा 4/- अक्षरे चार रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 4.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा